

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार सांखला (आर.ए.एस.)

दावा संख्या
09/2016

रजू दिनांक
12.01.2016

निर्णय दिनांक
28.03.2017

उनवान

1. रेवती बेवा जलेशिंह जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0.....वादनी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महो. मुण्डावर जिला अलवर राज- असल प्रतिवादी
2. सोमदत्त पुत्र मूंगाराम जाति अहीर निवासी सानोली तह. मुण्डावर जिला अलवर.....तर0 प्रतिवादी
3. श्रीमान सचिव नगर विकास न्यास भिवाडी जिला अलवर राज0
.....असल प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक, दुरुस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 काश्तकारी अधिनियम

वादीया की ओर से श्री गंगाराम पटेल एडवोकेट की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 28.03.2017 को अशोक कुमार सांखला उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

“आराजी ख.नं. हाल 33 रकबा 0.66 हैक्ट. में से रकबा 27 ऐयर तक की आराजी के लिए नाम हजफ कर उक्त रकबा 27 ऐयर को हाल आराजी ख.नं. 27 रकबा 6.18 हैक्ट. में सम्मिलित करते हुये रकबा 6.18 के बजाय ख.नं. 27 का रकबा 6.45 हैक्ट. दर्ज रिकार्ड किये जाने एवं वादीया को 95/98 यानि 6.25 हैक्ट. का एवं तरतीबी प्रतिवादी सं. 2 सोमदत्त को 3/98 यानि 0.20 हैक्ट. कुल रकबा 6.45 हैक्ट. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी कदर हाल रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 28.03.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अशोक कुमार सांखला)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर